भारत के राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड ३- उप-खण्ड (ii) PART II - Section 3 - Sub - section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1314]

नई दिल्ली, सुक्रवार, दिसम्बर 16, 2005/ अग्रहायण 25, 1927

No. 1314]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2005/AGRAHAYANA 25, 1927

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1771(अ).— तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा। की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 16 दिसम्बर, 2005 की तारीख को वह तारीख नियत करती है, जिस तारीख को उक्त धाराएं 2 से 26 (दोनों शामिल) लागू होंगी।

[फा.सं. 33036/5/2005-मा.(टी-2)] अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2005

S.O.1771 (E). — In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section1 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby appoints the 16th day of December, 2005, as the date on which the said Sections 2 to 26 (both inclusive) shall come into force.

[F. No. 33036/5/2005-Fy(T-2)] AJAY BHATTACHARYA, Jt. Secy.